न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 05/2021 जिला दौसा जी.एस.एम.एस. 2021/01

1. किशोरी पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा (मृतक)

1/1 श्रीमती कल्ली देवी पत्नी स्वर्गीय श्री किशोरी उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

1/2 राकेश पुत्र स्वर्गीय श्री किशोरी निवासी ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

1/3 श्रीमती सीमा मीणा पुत्री स्वर्गीय श्री किशोरी पत्नी श्री महेश चंद मीणा ग्राम पोस्ट करणपुर तहसील रैणी जिला अलवर।

1/4 श्रीमती शीला बाई पुत्री स्वर्गीय श्री किशोरी पत्नी श्री दिनेश चंद मीणा ग्राम पोस्ट करणपुर तहसील रैणी जिला अलवर।

2. हरिराम पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल (मृतक)

2/1 श्रीमती सावली पत्नी स्वर्गीय श्री हरीराम उम्र 35 वर्ष ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

2/2 दयाराम पुत्र स्वर्गीय श्री हरीराम उम्र 35 वर्ष ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

2/3 कांतिलाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरीराम उम्र 35 वर्ष ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

2/4 श्रीमती संतरा पुत्री स्वर्गीय श्री हरीराम पत्नी महेश चंद्र मीणा निवासी ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

3. प्रताप पुत्र श्री किशनलाल ग्राम सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

वनाम

1. चंपा राम पुत्र मंगल राम जाति मीणा निवासी भोपर टप्पा तहसील महवा जिला दौसा।
2. सजनी पुत्र मंगल राम पत्नी सावल राम जाति मीणा निवासी भोपर टप्पा तहसील महवा जिला दौसा, नाहर खोरा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी 7—सी गांधीनगर टोंक रोड जयपुर।
3. फूलवती पुत्री मंगल राम पत्नी कालूराम जाति मीना निवासी भोपर टप्पा तहसील महवा जिला दौसा हाल निवासी ग्राम मैना पुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. ग्राम पंचायत चंदेरा पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा जरिए सरपंच/सचिव
5. मानसिंह पुत्र प्रताप निवासी भोपर टप्पा तहसील महवा जिला दौसा।
6. खुशीराम पुत्र प्रताप निवासी भोपर टप्पा तहसील महवा जिला दौसा।
7. कैलाशी पत्नी श्री प्रताप निवासी भोपर टप्पा तहसील महवा जिला दौसा।
8. सुनीता पुत्री प्रताप पत्नी छुट्टन लाल जाति मीना निवासी ग्राम उकेरी तहसील मंडावर जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा दिनांक 08.12.2020 प्रकरण संख्या 08/2020 प्रकरण उनवानी चंपालाल वनाम ग्राम पंचायत वगै0 जो नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 05.09.2003 ग्राम चांदरा के संबंध में किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित—

1. श्री ध्रुवसिंह बगडिया वकील अपीलान्ट
2. श्री गोरधन गुर्जर वकील रेस्पोडेण्ट रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री किशनदास वकील रेस्पोडेण्ट रेस्पोडेन्ट नं. 5 से 8 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –27.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.12.2020 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष ग्राम पंचायत चांदेरा के द्वारा विवादित आराजीयात खाता संख्या 3 (पुराना 4) खसरा नं. 49, 65, 148, 219 की कुल भूमि 3.77 है0 वाके ग्राम चांदेरा तहसील सिकराय में स्थित भूमि के 10 रूपये के स्टाम्प के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 05.09.2003 को गलत बताते हुये आदेश दिनांक 05.09.2003 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2020 को ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 05.09.2003 को खारिज करते हुये मंगली देवी के प्राकृतिक वारिसों के नाम विरास्तन् पुनः नामान्तरकरण भरकर विधि सम्मत नियमानुसार निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 08.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट किशोरी पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 08.12.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि हाल खसरा नं. 49, 65, 148, 219 की कुल भूमि 3.77 है0 वाके ग्राम चांदेरा तहसील सिकराय खातेदार व काश्तकार खवाना की मृत्यु उपरान्त उनकी पुत्रियॉ मंगली देवी व मनको देवी के नाम बराबर 1/2 हिस्सा स्वीकृत की गई। मंगली देवी की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्र चंपालाल व प्रताप ने विवादित खसरा नम्बरों को जरिए 10 रूपये स्टाम्प पेपर पर हकत्याग कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया। जिस अनुसार ग्राम पंचायत चांदेरा ने उक्त हिस्से की भूमि खवाना के भाई किशनलाल के पुत्रों किशोरी, हरिराम व प्रताप के नाम स्वीकृत की अनुमति दे दी। प्रार्थीगण द्वारा समय–समय पर शादी–विवाह में भात जामने एवं अन्य जिम्मेदारियॉ निभाई गई हैं एवं उक्त विवदित खसरा नम्बरों पर पूर्व से कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2020 को 17 साल बाद पेश अपील को मियाद अधिनियम की धारा–5 को निर्णित किये बिना एवं उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही नामान्तरकरण आदेश दिनांक 05.09.2003 को अपास्त कराये जाने का निर्णय दिया गया है जबकि नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 05.09.2003 ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पर हक–त्याग के आधार पर विधिवत कार्यवाही करते हुए खोला गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने गलत मानते हुये निरस्त किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 08.12.2020 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि के खातेदार व काश्तकार खवाना की मृत्यु उपरान्त उसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण उनकी पुत्रियॉ

मंगली देवी व मनको देवी के नाम बराबर 1/2 हिस्सा स्वीकृत की गई तथा ग्राम पंचायत चांदेरा ने मंगली की मृत्यु उपरान्त उसके प्राकृतिक वारिसों प्रताप व चम्पालाल पिता मंगला के नाम भरकर गिरदावर के पास भेजा जिस पर गिरदावर द्वारा वारिसों की जॉच कर निर्णय फरमाये जाने का नोट अंकित किया गया। कानून मुताबिक ग्राम पंचायत अगर 45 दिन के अन्दर निपटारा करने में विफल रहती है तो ग्राम पंचायत की कोई अधिकारिता नहीं रहती आवेदन पत्र तहसीलदार को अग्रेसित कर दिया जाता है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा कानून के विरूद्व 68 दिन बाद दिनांक 05.09.2003 को मनमर्जी से निर्णय पारित कर दिया एवं जिस अनरजिस्टर्ड 10 रूपये के शपथ पत्र का हवाला दिया गया है वह भी फर्जी है क्योंकि मंगली के पुत्रों का आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत की ना तो कोई मीटिंग ना ही वार्ड पंचों के हस्ताक्षर हैं फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से अनरजिस्ट्रर्ड 10 रूपये के फर्जी शपथ पत्र के आधार पर प्राकृतिक वारिसों के नाम नामान्तरकरण ना भरकर किशोरी, हरिराम व प्रताप पुत्रान किशनलाल के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। प्राथीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 190 की जानकारी होते ही नकल प्राप्ति की दिनांक से अन्दर मियाद दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी गई जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार के साथ स्वतः ही स्वीकार किया गया है। एल.आर.एक्ट की धारा 135(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार भी नहीं है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर कानूनी मानते हुये ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 05.09.2003 को खारिज करते हुये मंगली देवी के प्राकृतिक वारिसों के नाम विरास्तन् पुनः नामान्तरकरण भरकर विधि सम्मत नियमानुसार निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही प्राकृतिक वारिसों के नाम विधिवत् नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकर से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद ग्राम सुरेर पटवार हल्का चांदेरा के खाता सं. 3 (पुराना 4) ख.नं. 49, 65, 148, 219 की कुल भूमि 3.77 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि मंगली देवी पुत्री खवाना जाति मीना दर्ज रही है। उक्त भूमि मंगली देवी को अपने पिता खवाना पुत्री रणजीता से विरासत प्राप्त हुयी थी। मंगली देवी के निधन पर ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 190 मंगली देवी पुत्री खवाना की भूमि का उसके पुत्रों प्रताप व चम्पालाल के नाम भरा, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.2003 को उक्त नामान्तरकरण का निर्णय पारित करते हुये मंगली के चचेरे भाईयों किशोरी, हरिराम, प्रताप पिता किशनलाल नाम स्वीकृत कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा इसका आधार 10.01.2003 के प्रताप, चम्पालाल पिता मंगला द्वारा प्रस्तुत 10 रू. के स्टाम्प पर लिखे शपथ–पत्र हक त्याग को वर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा सहमति पत्र, ग्राम पंचायत की कार्यवाही व नामान्तरकरण संख्या 190 के ग्राम पंचायत के निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात ही यह निर्णय पारित किया गया है कि ग्राम पंचायत को एल.आर.एक्ट 135(1) के तहत केवल निर्विवादित नामान्तरकरणों को ही स्वीकृति की शक्तियां प्राप्त है। प्रश्नगत नामान्तरकरण मंगली के पुत्रों के नाम भरा गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति सहमति शपथ पत्र का हवाला देते हुये मंगली के चचेरे भाईयों के नाम स्वीकृत किया है। इस तरह के नामान्तरकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकृत करने की शक्तियां एल.आर. एक्ट 135(2) के तहत तहसीलदार को दी गयी है न कि ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत द्वारा 10/–रू. के स्टाम्प के आधार पर मंगली के पुत्रों की सहमति के आधार पर नामान्तरकरण निर्णित किया है। हकत्याग दस्तावेज का उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन आवश्यक है और बिना पंजीकृत हकत्याग के आधार पर नामान्तरकरण निर्णित करने की शक्तियां ग्राम पंचायत और तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। अतः ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा दिनांक 5.09.2003 को मंगली देवी का निर्णित नामान्तरकरण संख्या 190 खारिज किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया गया है कि वो मंगली देवी के प्राकृतिक वारिसों के नाम विरासत का नामान्तरकरण पुनः भरकर नियमानुसार स्वीकृत करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा मंगली देवी के विधिक वारिसानों के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था। ग्राम पचांयत चांदेरा द्वारा अनरजिस्टर्ड 10/– रूपये के शपथ पत्र के आधार पर प्राकृतिक वारिसों के नाम नामान्तरकरण ना भरकर किशोरी, हरिराम व प्रताप पुत्रान किशनलाल के नाम लगभग 65 दिन बाद तस्दीक किया गया है। खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका नामांतरकरण विरासत के आधार पर प्राकृतिक वारिसों के नाम ही खोला जाना चाहिए था। हकत्याग दस्तावेज का उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन आवश्यक है और बिना पंजीकृत हकत्याग के आधार पर नामान्तरकरण निर्णित करने की शक्तियां ग्राम पंचायत और तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश DANAMMA @ SUMAN SURPUR & ANR Respondent: AMAR & ORS. Citation: CIVIL APPEAL NOS. 188-189 OF 2018 [@SLP(C) Nos. 10638-10639 of 2013 दिनांक 01.02.2018 में भी बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सेदारी पाने का अधिकार होगा, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले पैदा हुई बेटियॉ भी शामिल हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा दिनांक 5.09.2003 को मंगली देवी का निर्णित नामान्तरकरण संख्या 190 खारिज किया जाकर तहसीलदार सिकराय को मंगली देवी के प्राकृतिक वारिसों के नाम विरासत का नामान्तरकरण पुनः भरकर नियमानुसार स्वीकृत करने के आदेश दिये गये हैं, वो उचित हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा का निर्णय दिनांक 08.12.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर